समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प-भोपाल म0प्र0

R-840-J/14 पुनरीक्षण क्रं. ...../14

01. श्रीमती गीता बाई आयु लगभग 45 वर्ष,
पत्नि श्री राम चरण, पुत्री स्व श्री गंगाराम,
02. श्रीमती हल्की बाई आयु लगभग 55 वर्ष,
पत्नि श्री मोनीलाल, पुत्री स्व0 श्री भवानी सिंह,
दोनो निवासनीः- ग्राम सगड़ा, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा (म0प्र0) --- निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

01. नन्नू उम्र लगभग 50 वर्ष,
पुत्र श्री धन्ना, निवासीः- ग्राम सगड़ा,
तहसील लटेरी, जिला विदिशा म0प्र0
02. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जिलाध्यक्ष
जिला विदिशा (म0प्र0) --- उत्तरदातागण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता

निगरानीकर्तागण माननीय जिलाध्यक्ष **विदिशा** द्वारा उनके प्रकरण क्रं. 27/अ-39/12-13 शासन विरूद्ध बब्बू (वास्तविक नाम नन्नू) में पारित किये गये आदेश दिनांकित 30/08/13, जिसकी सर्वप्रथम जानकारी निगरानीकर्तागण को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 28/01/14 को प्राप्त किये जाने पर विदित हुयी है, से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते हैं :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि निगरानीकर्तागण ग्राम सगड़ा, तहसील लटेरी जिला विदिशा में स्थित कृषि भूमि खसरा क्रं. 45 रकबा 1.543 हेक्टेयर की वर्ष 1991-92 से पुनरीक्षणाधीन आदेश पारित किये जाने तक अभिलेखांकित भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारिणी थीं। उक्त भूमि को निगरानीकर्तागण **श्रीमती गीता बाई एवं श्रीमती हल्की बाई** ने दो पंजीयत पंजीयत विक्रय-पत्र दिनांकित 15/06/92 के अनुसार उत्तरदाता क्रं. 1 **नन्नू** से विधिवत् क्रय कर स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य प्राप्त करने के बाद भू-राजस्व प्रलेखों में भी तद्नुरूप अपना नाम अभिलेखांकित करा लिया था।

निरंतर पृष्ठ 2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक R- 840–एक / 14 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-6-16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 27 / अ–39 / 12–13 में पारित आदेश दिनांक 30–8–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार के समक्ष इस आशय की रिर्पोट पेश की गई कि ग्राम सगड़ा के पटवारी अभिलेख में पाया गया कि बब्बू पिता धन्ना अहिरवार को ग्राम सगड़ा स्थित भूमि सर्वे नं. 45 रकबा 1.543 हैक्टर प्र0क0 20 / अ–19(1) / 78–79 द्वारा वंटन किया गया था । जिसे उसके द्वारा आवेदकों को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भूमि का विकय किया जाकर संहिता की धारा 182 एवं 165 का उल्लंघन किया गया है । रिर्पोट के आधार पर दोनों पक्षों को नोटिस जारी किये गये जिसका जबाव बब्बू पुत्र धन्ना द्वारा पेश किया गया जिसमें बताया गया कि उसकी जानकारी में कोई विकय विलेख गीताबाई को नहीं कराया गया है । जबाव प्राप्त होने के उपरांत तथा अभिलेख के अवलोकन उपरांत कलेक्टर द्वारा प्रकरण में संहिता की धारा 182 एवं 165 का उल्लंघन मानते हुए प्रश्नाधीन भूमि शासन मद में दर्ज किये जाने के आदेश दिए गए हैं । अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	3/ प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक को कोई उपस्थित नहीं होने पर उन्हें 10 दिवस का समय लिखित बहस पेश करने के लिए दिया गया । किंतु आज दिनांक तक पक्षकारों द्वारा लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण आवेदक द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के आधार पर किया जा रहा है । 4/ अभिलेख के अवलोकन से तथा आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण शासन से वंटन में प्राप्त भूमि के बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति से विक्रय किए जाने के संबंध में है । संहिता के प्रावधानों के तहत शासन से प्राप्त भूमि का विक्रय बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं किया जा सकता है । आवेदक द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी मेमो के साथ ऐसे कोई दस्तावेज या प्रमाण पेश किए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उसके द्वारा भूमि का क्रय सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरांत किया गया था । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हो एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	